



-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 08.09.2025

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ थाना कालिंजर पुलिस द्वारा अवैध तमंचे के साथ अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार। अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 01 जिन्दा कारतूस बरामद।

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा अवैध शस्त्रों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में थाना कालिंजर पुलिस द्वारा अवैध तमंचे के साथ अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। गौरतलब हो कि आज दिनांक 08.09.2025 के दिन में थाना कालिंजर पुलिस को गश्त एवं चेकिंग के दौरान मुखविर से सूचना प्राप्त हुई कि पेट्रोल टंकी के आगे पुलिया के पास कालिंजर नैनी मार्ग वहद ग्राम गिरधरपुर पर एक व्यक्ति तमंचा लिये घूम रहा है। पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर जाकर व्यक्ति को हिरासत में लिया गया तथा तलाशी के दौरान उसके कब्जे से 01 अवैध तमंचा व 01 जिन्दा कारतूस बरामद हुआ।

बरामदगी-

- 01 अवैध तमंचा 315 बोर
- 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तार अभियुक्त-

❖ संजय सोनकर पुत्र भुल्ली सोनकर निवासी ग्राम कालिंजर थाना कालिंजर जनपद बांदा।

पंजीकृत अभियोग-

- मु0अ0सं0- 157/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कालिंजर जनपद बांदा।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. उ0नि0 श्री रामरक्षा सिंह
2. उ0नि0 श्री जियालाल
3. कां0 सुशील तिवारी
4. का0 अवधेश कुमार